ग्राम पंचायत ननाहर, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176061 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ननाहर, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री जोवन लाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
01	श्री मोहिंदर पाल	01-04-2022 से 29-12-2023
02	श्री अमित जसरोटिया	30-12-2023 से 06-03-2024
03	श्री सुरजीत सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	07-03-2024 से 31-03-2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
01	श्री सुरेश कुमार	01-04-2022 से 28-06-2023
02	श्री राकेश कुमार	29-06-2023 से 01-03-2024
03	श्री बलवीर सिंह	02-03-2024 से 31-03-2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत ननाहर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	14.70
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	33.89
3	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.19
4	8	विवाह पंजीकरण शुल्क को जमा न करवाना	0.02
5	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	6.53
6	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	5.55
7	9.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	5.63
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	10.51
9	12	व्यय के समर्थन में बिल/वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	0.58
10	13.1	न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से अदायगी के फलस्वरूप अधिक भुगतान	0.02

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत ननाहर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.04.2025 से 08.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के

आधार पर किया गया। आय–व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	02/2023	05/2022
2023–24	12/2023	12/2023

अस्वीकरण(Disclaimer):–**वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2025/228 दिनांक–08.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक पढ़ियारखर के मल्टीसिटी चैक संख्या 664216 दिनांक 23.04.2025 द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/209 दिनांकः–01.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1231271.5	1487418.00	2718689.50	1055768.00	1662921.50
2023-24	1662921.50	490779.88	2153701.38	849374.00	1304327.38

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2713574.10	4484949.00	7198523.10	3553144.00	3645379.10
2023-24	3645379.10	1924404.00	5569783.10	2181053.00	3388730.10

कुल योग (1+2) 1304327.38+3388730.10 **=4693057.48**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹46,93,057.48/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** अनुसार अन्तशेष ₹32,23,074.12/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वयं स्रोत/ पांचवा वित्त/ वी.के.वी.एन.वाई/एस .डी.पी/आर.जी.एस.ए/एस .डी.आर.एफ./एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक पढ़ियारखर	20016007668	872083.97
2	सी.एस.सी	इंडसइंड बैंक पालमपुर	100174322547	89050
3	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक पढ़ियारखर	50067582636	25662
4	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक कंडबाड़ी	2581000100209628	2224141
5	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			12137.15
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹3223074.12
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹4693057.48
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—				₹3223074.12
अन्तरः—				1469983.36

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेषों में राशि ₹14.70/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत ननाहर द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1469983.36/- का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में था, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। इतनी अधिक राशि का अंतर पाया जाना, ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाईन माध्यम से तैयार किये जा रहे अभिलेखों को संदेहास्पद बनाता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/211 दिनांकः–02.04.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम–वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत ननाहर द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत, व अनुदान पाचवां वित्त, CDPO(DEVELOPMENT),SDP,RGSA,SDRF,VKVNY,MPLAD आदि शीर्षो के

अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20016007668 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/218 दिनांकः–03.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा अवगत करवाया कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0 मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	आर.जी. एस.ए	12/02.05. 2022	–	निर्माण सामुदायिक केन्द्र पंचायत घर ननाहर वार्ड–7	19990
2	वी.के.वी. एन.वाई	17/13.05. 2022	मस्ट्रोल–13	निर्माण आदर्श महिला मण्डल भवन बाडीखास वार्ड–3	13844
3	14वां वित	13,01/02. 05.2022,02.	3464/23.2.23	कार्यपूर्ति मोक्षधाम राक्षस नाला वार्ड–1	5224

		12.23			
4	वी.के.वी. एन.वाई	02 / 02.12. 2023	मस्ट्रोल –12	नि0 सडक दोलत राम के घर मस्त राम व अन्य घरो की ओर वार्ड–7	36970
5	एम.पी. लेड	21,22,26 / 02 .12.2023	001,002 / 28.04. 23 मस्ट्रोल –08	नि0 जीप रोड किशोरी लाल की दुकान से रोशन लाल के घर की ओर वार्ड–7	96571
6	एम.पी. लेड	28,29 / 02. 12.2023	006,007 / षून्य	विकास खेल मैदान जी.एम. एस ननाहर वार्ड–3	50000
7	वी.के.वी. एन.वाई	30,3,65 / 02. 12.23	3278, / 10.11.22 मस्ट्रोल –08	अतिरिक्त आदर्श महिला मण्डल भवन बाडी खास ननाहर वार्ड 3	28278
8	सी.डी.पी. ओं	31,32,70 / 02 .12.23	3391,3392 / 05. 5.23 मस्ट्रोल –07	मुरम्म्त आंगनवाडी शौचालय बाडी खास वार्ड 3	25129
9	एस.डी.पी	71 / 12.12.23	मस्ट्रोल –24	निर्माण पक्का रास्ता लांघा मन्दिर से पनाला मन्दिर की ओर वार्ड 1	42920

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता / खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 227 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01 / 2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाता बहियों / लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी

खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/— तक की राशि ही इम्प्रैस्ट रूप में रखी जा सकती है।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक, ऑनलाईन सभा निधि की संयुक्त रोकड़ बही के अनुसार, नकद राशि को हस्तगत रखा गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।

क्र0सं0	रो• ब• पृ•	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1.	शून्य	31.05.2022	12296.15
2.	शून्य	04.06.2022	10754.15
3.	शून्य	31.08.2022	8694.15
4.	शून्य	22.10.2022	8228.15
5.	शून्य	31.03.2023	7637.15
6.	शून्य	06.04.2023	12637.15
7.	शून्य	30.06.2023	12637.15
8.	शून्य	31.08.2023	12637.15
9.	शून्य	31.12.2023	12112.15
10.	शून्य	31.01.2024	12112.15
11.	शून्य	31.03.2024	12137.15

अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹9,80,055.09 से ₹8,72,083.97 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/227 दिनांकः 08.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–ननाहर 01/2025 दिनांक 08.04.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस नियम प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹33.89/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/209 दिनांकः–01.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹33,88,730.10/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	आई.ए.वाई	31.03.2024	279764.64
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	435779.05
3	13वाँ वित्त	31.03.2024	1187.64
4	14वाँ वित्त	31.03.2024	572038.77
5	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	2099960
		कुल जोड	**3388730.10**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/215 दिनांक–03.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग/शेष अनुदानों की राशि को आगामी समय में नियमानुसार व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.19/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/209 दिनांकः–01.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹1,19,320/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/216 दिनांकः–03.04.2025 द्वारा सूचित

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—ननाहर 01/2025 दिनांक:—08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा गृहकर कर के मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारे:—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:—04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/209 दिनांक:—01.04.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत ननाहर द्वारा वर्ष 2022—23 व 2023—24 के दौरान राशि ₹1825/— विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे न तो सरकारी कोष में और न ही पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जिससे सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/217 दिनांक:—03.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ननाहर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—ननाहर 01/2025 दिनांक:—08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया, जिसकी संबंधित

व्यक्ति/कर्मचारी से वसूली करने उपरांत सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.53/– लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदायें आंमत्रित करना, मांग, अनुबन्ध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत ननाहर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹652711.25/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं की प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त वित्तीय अनियमितत्ता बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/221 दिनांक:–07.04.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–ननाहर 01/2025 दिनांक:–08.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹5.55/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरुप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ननाहर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹554847/–(554847.15, राशि 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/222 दिनांकः–07.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं उपरोक्त नियम प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः प्रत्येक क्रय स्टोर/स्टॉक की मद का नियमानुसार पारदर्शी लेखांकन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹5.63/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के

समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹562736/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/225 दिनांकः–07.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है, व अनभिज्ञता में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹10.51/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 12/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹1051147/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.आर.जी. एस.ए	12/02. 05.2022	–	निर्माण सामुदायिक केन्द्र पंचायत घर	19990	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्क्लन,माप–पुस्तिका,

			ननाहर वार्ड–7		34–सी
2.वी.के.वी. एन.वाई	17 / 13. 05.2022	मस्ट्रोल–13	निर्माण आदर्श महिला मण्डल भवन बाडीखास वार्ड–3	13844	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
314वां वित	13,01 / 02.05. 2022,02. 12.23	3464 / 23.2. 23	कार्यपूर्ति मोक्षधाम राक्षस नाला वार्ड–1	5224	प्राक्कलन,माप–पुस्तिका, 34–सी
4.मनरेगा	शून्य / 21. 05.2022	मस्ट्रोल –1096	निर्माण गोट शेड विचित्र सिंह वार्ड 4	12180	माप–पुस्तिका
5.मनरेगा	शून्य / 06. 05.2022	मस्ट्रोल –544,1182	निर्माण डंगा प्रभु राम सुपुत्र ब्रहमा राम वार्ड–2	22330	माप–पुस्तिका
6.मनरेगा	शून्य / 21. 05.2022	मस्ट्रोल –1097	निर्माण डंगा हरवंश सुपुत्र प्रेम चन्द	12180	माप–पुस्तिका
7.मनरेगा	शून्य / 06. 05.2022	मस्ट्रोल –477	निर्माण डंगा प्रताप चन्द सुपुत्र वशी राम	15225	माप–पुस्तिका
8.मनरेगा	शून्य / 21. 05.2022	मस्ट्रोल –1098	निर्माण डंगा प्रेम चन्द सुपुत्र सरन दास	12180	माप–पुस्तिका
9.मनरेगा	शून्य / 06. 05.2022	मस्ट्रोल –478	निर्माण डंगा गुरमुख सिंह सुपुत्र जय किशन जमीन	12180	माप–पुस्तिका
10.मनरेगा	शून्य / 06, 21.05. 2022	मस्ट्रोल –479,1099	निर्माण डंगा तिलक चन्द सपुत्र जती राम वार्ड 4	27405	माप–पुस्तिका
11.मनरेगा	शून्य / 06, 21.05. 2022	मस्ट्रोल –480,1100	निर्माण डंगा नजदीक तिलक राज घर वार्ड 2	30450	माप–पुस्तिका
12.मनरेगा	शून्य / 06.. 05.2022	मस्ट्रोल –481	निर्माण डंगा नजदीक प्रमोध चन्द घर	15225	माप–पुस्तिका
13.मनरेगा	शून्य / 21.	मस्ट्रोल	निर्माण डंगा नजदीक	6090	माप–पुस्तिका

	05.2022	—1101	प्यार चन्द सपुत्र हाकम राम घर वार्ड 4		
14.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	319,326,566, 567 / 15,18,2 5.11.2021,12. 01.22	निर्माण कुल्ह शोभा राम के घर से रणजीत सिंह के घर की ओर वार्ड 6	82759	प्रस्ताव, प्राक्क्लन माप—पुस्तिका
15.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	321 / 20.11. 2021	निर्माण गोट शेड बलबंत सिंह वार्ड 4	3822	माप—पुस्तिका
16.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	323 / 25.11. 2021	निर्माण गोट शेड करम चन्द सुपुत्र धनी राम वार्ड 4	11198	माप—पुस्तिका
17.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	314,558 / 05. 10.2021,20. 08.21	निर्माण सुरक्षा दीवार चाकर राम सुपुत्र बिधु राम वार्ड 4	17168	माप—पुस्तिका
18.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	332,560 / 20, 21.112021	निर्माण सुरक्षा दीवार लेख राज सुपुत्र सोभा राम वार्ड 6	17391	माप—पुस्तिका
19मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	315,559 / 06. 10.21,08.04. 21	निर्माण सुरक्षा दीवार रजिन्दर सिंह पुत्र चीन राम वार्ड 1	17154	माप—पुस्तिका
20.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	317,318 / 15, 17.11.21	निर्माण जीपेवल रोड विश्न चन्द के घर से किशोरी लाल के घर की ओर वार्ड 4	62160	माप—पुस्तिका
21.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	313 / 21.10. 21	निर्माण रास्ता ननाहर गांव से शमशानघाट की ओर वार्ड 2	22556	माप—पुस्तिका
22.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	327 / 15.01. 2022	निर्माण जीपेवल रोड प्रताप चन्द के घर से गुरमुख सिंह के घर	38850	माप—पुस्तिका

			की ओर वार्ड 4		
23.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	324/14.12. 21	निर्माण रोड मेन रोड से रेन्चू राम घर की ओर वार्ड 4	31500	प्रस्ताव, प्राक्क्लन माप–पुस्तिका
24.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	320/20.11. 21	निर्माण रास्ता मिलाप चन्द के घर से सुनीता देवी के घर की ओर वार्ड	31080	माप–पुस्तिका
25.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	325,564,565 /10.01. 22,15,20.11. 21	निर्माण जीपेवल रोड विशन चन्द के घर से किशोरी लाल के घर की ओर	46498	माप–पुस्तिका
26.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	316/09.10. 21	निर्माण डंगा व रोड अमर सिंह के घर की ओर वार्ड 7	46620	माप–पुस्तिका
27.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	505101/21. 02.22	निर्माण कुल्ह पनिहार से रमेश ठाकुर के घर की ओर वार्ड 7	16403	माप–पुस्तिका
28.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	5051/21.02. 22	निर्माण कुल्ह मस्त राम के घर से नाला की ओर वार्ड 7	49208	माप–पुस्तिका
29.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	505103/21. 02.22	निर्माण कुल्ह पुजा देवी के घर से शांति देवी के घर ओर वार्ड 7	22963	माप–पुस्तिका
30.मनरेगा	शून्य/30. 05.2022	505102/21. 02.22	निर्माण रास्ता रोशन लाल के घर से अमित कुमार के घर ओर वार्ड 5,6	39366	माप–पुस्तिका
31.मनरेगा	शून्य/01. 12.2023	मस्ट्रोल –3739	निर्माण गोट शेड चरनजीत सुपुत्र दुनी	10080	माप–पुस्तिका

			चन्द		
32.वी.के. वी.एन.वाई	02/02. 12.2023	मस्ट्रोल–12	नि0 सडक दोलत राम के घर मस्त राम व अन्य घरो की ओर वार्ड–3	36970	प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन,माप–पुस्तिका, 34–सी
33.एम.पी. लेड	21,22,26 /02.12. 2023	001,002/28. 04.23 मस्ट्रोल–08	नि0 जीप रोड किशोरी लाल की दुकान से रोशन लाल के घर की ओर वार्ड–5	96571	प्रस्ताव, प्राक्कलन,माप–पुस्तिका, 34–सी
34.एम.पी. लेड	28,29/0 2.12.2023	006,007/ शून्य	विकास खेल मैदान जी.एम.एस ननाहर वार्ड–3	50000	प्राक्कलन,माप–पुस्तिका, 34–सी
35.वी.के. वी.एन.वाई	30,3,65/ 02.12.23	3278,/10. 11.22 मस्ट्रोल –08	अतिरिक्त आदर्श महिला मण्डल भवन बाडी खास ननाहर वार्ड 3	28278	माप–पुस्तिका, 34–सी
36.सी.डी. पी.ओं	31,32,70 /02.12. 23	3391,3392/ 05.5.23 मस्ट्रोल –07	मुरम्म्त आंगनवाडी शौचालय बाडी खास वार्ड 3	25129	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
37.एस.डी. पी	71/12. 12.23	मस्ट्रोल–24	निर्माण पक्का रास्ता लांघा मन्दिर से पनाला मन्दिर की ओर वार्ड 1	42920	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**1051147**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत ननाहर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/223 दिनांक:–07.04. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–ननाहर 01/2025 दिनांक 08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिन्हे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत

कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹10.08/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 12/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व संलग्न **"परिशिष्ट–6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹1007997/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/227 दिनांकः–08.04.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ननाहर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि संयुक्त हस्ताक्षरों से संबंधित अनियमितता के नियमों की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 राशि ₹0.58/– लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 12/2023 के व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार सभा निधि की संयुक्त रोकड़ बही में राशि

₹57700/–का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:–

क्र0सं0	अनुदान/ मद	वाउचर सं0/ दिनांक/बिल सं0	कार्य का नाम/ विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1.	एस.डी.आर. एफ	शून्य/02.12. 23/शून्य	निर्माण सुरक्षा दीवार जगदीश चन्द वालिया सुपुत्र मस्त राम वार्ड--6	षून्य	13440
2.	एस.डी.पी	शून्य/02.12. 23/शून्य	सडक मेन रोड से बिहारी लाल घर	षून्य	38500
3.	सी.डी.पी.ओ	शून्य/02.12. 23/शून्य	मुरम्म्त आंगनबाडी शौचालय बाडी खास	षून्य	5760
				कुल	**57700**

उक्त बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/219 दिनांकः–05.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया, कि इन्हें आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित बिल वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि के बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई असमर्थित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13.1 आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से राशि ₹0.02/– लाख का अधिक/गलत भुगतान करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त दो निविदाओं में मै0 हरवंश कुमार ननाहर कमलेहड द्वारा दो मदों हेतु (जी.एस.टी सहित) रेत, क्रैशर ₹54 प्रति घन फुट व ₹45(10mm,20mm) /44(40mm)/– प्रति घन फुट तथा मै0 जय किशन ननाहर कमलेहड द्वारा ₹53.90 प्रति घन फुट व 44 प्रति घन फुट की दर दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से मै0 जय किशन ननाहर कमलेहड द्वारा द्वारा दी गई दरें ₹53.90/– तथा 44/– ही न्यूनतम है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार उक्त मदों का क्रय मै0 जय किशन ननाहर कमलेहड के स्थान पर मै0 गुरमुख सिंह ननाहर कण्डवाड़ी को अधिक दरों से किया गया। आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा अनुसार भुगतान न करके, अधिक दर से ₹1716/– का अधिक व गलत भुगतान किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक/ बिल सं0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.एस.डी.पी	15/02.12.23	मै गुरमुख सिंह ननाहर कण्डवाडी	क्रैशर रेत	6600 (150cft@44) 4851 (90cft@53.90)	7875 (150cft@52.5) 5292 (90cft@58.8)	1275 441
कुल योग						1716

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/226 दिनांकः–08.04.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव ननाहर के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01/2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त किये गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त किये गए अधिक भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यों सहित सपष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षण का दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में इन निविदाओं/दरों के

आधार पर क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु की गई अधिक भुगतान की राशि की भी संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.2 आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से राशि ₹1000/– का अधिक भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने को जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर सं0 / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
वी.के.वी. वाई.एन	17/01.12.2023	मै0 गुरमुख सिंह ननाहर	बजरी कैशर	6500 (130cft@50)	7500	1000

उपरोक्त बिल/वाउचर की आंमत्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/227 दिनांक:–08.04.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–ननाहर 01/2025 दिनांक:–08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। अतः यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो, सुनिश्चित करके अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी, जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ननाहर द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:–

1. निम्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:–

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	17/13.05.2022	13	13844
2	वी.के.वी.एन.वाई	02/02.12.2023	12	36970
3	एस.डी.पी	24/02.12.2023	05	49146
4	एम.पी.लेड	26/0212.2023	08	39816
5	वी.के.वी.एन.वाई	03/02.12.2023	08	14000
6	एस.डी.पी	71/12.12.2023	24	42920

2.किसी व्यक्तिगत कार्य के लिये बनाई गई संकर्म समिति/सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों के स्थान पर केवल 2–3 पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों

का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/224 दिनांकः—07.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—ननाहर 01/2025 दिनांक 08.04.2025 द्वारा अवगत करवाया कि मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं हेतु भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

15. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" व विभिन्न परिशिष्टो के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच; मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप--पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों,मनरेगा अनुदान के अतिरिक्त, को अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.निर्माण कार्यों के बिलों को निर्माण समिति व सतर्कता समिति के सदस्यो के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

6.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं में अपेक्षित सन्दर्भ (Reference) के संबंध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना, क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 227 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ननाहर को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–ननाहर 01 / 2025 दिनांकः–08.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार वर्तमान समय से अनुपालना की जा रहीं है तथा अंकेक्षण अवधि के 05 / 2022 व 12 / 2023 मासों के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 209 दिनांकः 01.04.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र

संख्याः— ननाहर 01/2025 दिनांकः—08.04.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप—पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं	....	....

	सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर		
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/209 दिनांकः—01.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—ननाहर 01/2025 दिनांकः—08.04. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

18.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख—रखाव ग्राम पंचायत ननाहर द्वारा नहीं किया गया था जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

ग्राम पंचायत ननाहर के चयनित मासो 05/2022 व 12/2023 के सामान्य व मनरेगा के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/227 दिनांकः—08.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—ननाहर 01/2025 दिनांकः—08.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित किये जा रहे है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में चयनित मासो 05/2022 व 12/2023 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः**– लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

18 JUN 2025

का०/आॅ०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

37777–3781

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)463/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ननाहर, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUN 2025

का०/आॅ०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1(पैरा संख्या -4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP NANAHAR LOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-176061 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES(5TH SFC/CDPO/RGSA/SDP/SDRF/VKVNY/MPLAD)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1231271.5	1487418.00	2718689.50	1055768.00	1662921.50
2023-24	1662921.50	490779.88	2153701.38	849374.00	1304327.38

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2713574.10	4484949.00	7198523.10	3553144.00	3645379.10
2023-24	3645379.10	1924404.00	5569783.10	2181053.00	3388730.10

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

ANNEXURE -2(पैरा संख्या - "6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP NANAHAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	IAY	2022-23	279764.64	0.00	279764.64	0.00	279764.64
		2023-24	279764.64	0.00	279764.64	0.00	279764.64
2	VKVNY	2022-23	54869.05	388600.00	443469.05	3190.00	440279.05
		2023-24	440279.05	0.00	440279.05	4500.00	435779.05
3	13TH FC	2022-23	1187.64	0.00	1187.64	0.00	1187.64
		2023-24	1187.64	0.00	1187.64	0.00	1187.64
4	14TH FC	2022-23	1130092.77	6054.00	1136146.77	542005.00	594141.77
		2023-24	594141.77	721.00	594862.77	22824.00	572038.77
5	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1247660.00	1630265.00	2877925.00	547919.00	2330006.00
		2023-24	2330006.00	353626.00	2683632.00	583672.00	2099960.00
5	MGNREGA	2022-23	0.00	2460030.00	2460030.00	2460030.00	0.00
		2023-24	0.00	1570057.00	1570057.00	1570057.00	0.00

Sohan lal
PRADHAN
SECY
GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत ननाहर विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176061

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ननाहर के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31-03 -2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवां वित्/CDPO /वी.के.वी.एन.वाई/ एस .डी.पी/आर.जी.एस.ए/एस .डी.आर.एफ./एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक पडियाडखर	20016007668	980055.09	872083.97
02	सी.एस.सी	इंडसइंड बैंक पालमपुर	100174322547	0	89050
03	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक पडियाडखर	50067582636	655390	25662
04	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक कंडबाड़ी	2581000100209628	1255364	2224141
05	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			12296.15	12137.15
			कुल योग	2903105.24	3223074.12

Sovan lal

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत ननाहर विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.-176061

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत ननाहर में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 539 व 2023-24 में 552 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	64770	539	50	26950	91720	00	91720
2023-24	91720	552	50	27600	119320	00	119320

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट–5(पैरा संख्या "8")

कार्यालय ग्राम पंचायत ननाहर विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176061

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	800
2	2023–24	1025
	कुल	**1825**

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या 9.1, 9.2 व 11)

ग्राम पंचायत ननाहर विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व संयुक्त हस्ताक्षर किये बिना ही भुगतान करना।

अनुदान	वो.स./दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.RGSA	12/02.05.2022	Carriage(cft)	—	M/s Ravinder Kumar Rachiyada Spadu	1110	18	19980	Quatation ,Joint Signature
2.SF	14/06.05.2022	Gramsabha Refreshment	—	M/s Satish Kumar Badikhas	—	—	9470	Joint Signature
3.VKVNY	17/13.05.2022	Labour Wages	Mustrol-13/12919	—	—	—	13844	Joint Signature
4.5TH SFC	18/21.05.2022	Remuneration Pra. Up Pra.		—	—	—	130250	Joint Signature
5.14TH FC	13/02.05.2022	Loha Judbie(kgs)		M/s Ravinder Kumar Rachiyada Spadu	215	16	3440	Quatation ,Joint Signature
6.NREGA	NIL/30.05.2022	Crushe(cft) Sand(cft)	319/18.11.2021	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	400 200	50.4 54.6	20160 10920	One Quatation Shown,Stock Entry ,Joint Signature
7.NREGA	NIL/30.05.2022	Sand Crusher	326/12.01.2022	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	200 410	54.6 50.4	10920 20664	One Quatation Shown,Stock Entry ,Joint Signature
8.NREGA	NIL/30.05.2022	Shuttering(sqf)	566/25.11.2021	do	1125	15	16875	One Quatation Shown,Stock Entry ,Joint Signature
9.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Carriage	567/25.11.2021	do	92	35	3220	Quatations,Stock Entry ,Joint Signature
10.NREGA	NIL/30.05.2022	Sand(cft)	321/20.11.2021	do	70	54.6	3822	One Quatation,Stock Entry
11.NREGA	NIL/30.05.2022	Bricks	323/25.11.2021	do	1185	9.45	11198.25	One Quatation,Stock Entry
12.NREGA	NIL/30.05.2022	Sand(cft)	314/05.10.2021	do	254	54.6	13868.4	One Quatation,Stock Entry
13.NREGA	nil/30.05.2022	Shuttering(sqf)	558/20.08.21	do	220	15	3300.00	One Quatation
14.NREGA	nil/30.05.2022	Sand(cft) Shuttering(sq	322,560/20,21.11.21	do	210 395	54.6 15	11466 5925.00	One Quatation,Stock Entry
15.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	315/06.10.2021	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	140 130	50.4 54.6	7056 7098	One Quatation Shown,Stock Entry
16.NREGA	nil/30.05.2022	Shuttering(sqf)	559/08.04.21	do	200	15	3000.00	One Quatation
17.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	317,318/15,17.11.21	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	800 400	50.4 54.6	40320 21840	One Quatation Shown,Stock Entry
18.NREGA	nil/30.05.2022	Boulder(cft)	313/02.10.21	do	450	50.12	22554	One Quatation Shown,Stock Entry
19.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	327/15.01.2022	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	500 250	50.4 54.6	25200 13650	One Quatation Shown,Stock Entry
20.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	324/14.12.2022	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	300 300	50.4 54.6	15120 16380	One Quatation Shown,Stock Entry
21.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	320/20.11.2021	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	400 200	50.4 54.6	20160 10920	One Quatation Shown,Stock Entry
22.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	325/10.01.22	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	430 210	50.4 54.6	21672 11466	One Quatation Shown,Stock Entry
23.NREGA	nil/30.05.2022	Shuttering(sqf)	564/20.11.21	do	340	15	5100.00	One Quatation
24.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Carriage	565/15.11.21	do	236	35	8260	Quatations
25.NREGA	NIL/30.05.2022	Crusher(cft) Sand(cft)	316/09.10.21	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	600 300	50.4 54.6	30240 16380	One Quatation Shown,Stock Entry
26.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Bags	505101/21,02,22	HPCS Paprola	50	328.05	16402.5	Stock Entry ,Joint Signature
27.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Bags	5051/21,02,22	HPCS Paprola	150	328.05	49207.5	Stock Entry ,Joint Signature
28.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Bags	505103/21,02,22	HPCS Paprola	70	328.05	22963.5	Stock Entry ,Joint Signature

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P

29.NREGA	NIL/30.05.2022	Cement Bags	505102/21.02.22	HPCS Paprola	120	328.05	39366	Stock Entry ,Joint Signature
30.VKVNY	02/02.12.23	Labour Wages	Mustrol-12	—	—	—	36970	Joint Signature
31.SDP	19/20/02.12.23	Crs. Agg (cft)	004,005/28,29.04.23	M/s Jai Kishan Govt.Cont. Kandwari	100	43.99	4399	Two Quatation Shown,Joint Signature
		Sand(cft)			500	53.89	26945	
32.MPLAD	21,22/02.12.23	Crs. Agg (cft)	001,002/28.04.23	M/s Jai Kishan Govt.Cont. Kandwari	800	43.995	35196	Two Quatation Shown,Joint Signature
		Sand(cft)			400	53.896	21558.4	
33.SDRF	23/02.12.23	Crs. Agg (cft)	003/28.04.23	M/s Jai Kishan Govt.Cont. Kandwari	400	43.995	17598	Two Quatation Shown,Joint Signature
		Sand(cft)			200	53.896	10779.2	
34.SDP	24/02.12.23	Labour Wages	Mustrol-05	—	—	—	49146	Joint Signature
35.5TH SFC	27/02.12.23	Panchyat Chokidar		—	—	—	19500	Joint Signature
36.MPLAD	28/02.12.2023	JCB Machine(hrs)	006/NIL	M/s Jai Kishan Govt.Cont. Kandwari	20	1500	30000	Quatations,Joint Signature
37.VKVNY	30/02.12.23	Hardware Material	3278/10.11.22	M/s Walia Hardware Store Kandbari	—	—	9778	Quatations,Stock Entry,Joint Signature
38.CDPO	31/02.12.23	Hardware Material	3391/05.05.23	M/s Walia Hardware Store Kandbari	—	—	4985	Quatations,Stock Entry,Joint Signature
39.CDPO	32/02.12.23	Hardware Material	3392/05.05.23	M/s Walia Hardware Store Kandbari			3050	Stock Entry,Joint Signature
40.VKVNY	03/02.12.23	Labour Wages	Mustrol-08	—	—	—	14000	Joint Signature
41.SDP	44/02.12.3	TMT Sariya	1040/13.07.23	M/s Koshal Trading Co.Sungal	—	—	21998	Joint Signature
42.5TH SFC	57/02.12.23	Panchyat Chokidar	—	—	—	—	19500	Joint Signature
43.5TH SFC	63/02.12.23	Remuneration Pra. Up Pra.	—	—	—	—	57000	Joint Signature
44.5TH SFC	05/02.12.23	Remuneration Pra. Up Pra.	—	—	—	—	79200	Joint Signature
45.SDP	11/02.12.23	Cement Bags	227115/20.06.24	HPCS Paprola	100	384	38400	Joint Signature
46.SDP	15/02.12.23	Crasher(cft)	419/01.04.23	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	150	52.5	7875	Two Quatation Shown,Joint Signature
		Sand(cft)			90	58.8	5292	
47.SDP	16/02.12.23	Boulder(cft)	420/01.04.23	do	200	53.45	10690	Two Quatation Shown,Joint Signature
48.VKVNY	17/02.12.23	Crasher(cft)	421/05.02.23	M/s Gurmukh Singh Govt.Cont. Nanahar	130	52.5	6825	Two Quatation Shown,Joint Signature
		Sand(cft)			70	58.8	4116	
49.CDPO	70/08.12.23	Labour Wages	Mustrol-07	—	—	—	17094	Joint Signature
50.SDP	71/12.12.23	Labour Wages	Mustrol-24	—	—	—	42920	Joint Signature
51.VKVNY	65/02.12.23	Grill judie etc.		M/s Shiv Dev S/o Jai Ram Snedu	—	—	4500	Quatations,Joint Signature
52.14TH FC	04/02.12.23	Labour Wages	Mustrol-09	—	—	—	21000	Joint Signature
						G/Total	1353992.75	

नोट:- 1. क्रम संख्या 1, 5 से 25, 31 से 33, 36, 37, 38, 46 से 48 व 51 की औपचारिकताओं से संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया।

2. क्रम संख्या 6 से 12, 14, 15, 17 से 22, 25 से 29, 37, 38, 39 तक की स्टॉक प्रविष्टियों को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

3. क्रम संख्या 1 से 9, 26 से 52, संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया।

PRADHAN

SECY

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.

86

परिशिष्ट–7(पैरा संख्या–"९.३")

कार्यालय ग्राम पंचायत ननाहर विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176061 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	319/18.11.21	crusher	400	50.40	20160.00
					Sand	200	54.60	10920.00
2	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	326/12.01.22	sand	200	54.60	10920.00
					crasher	410	50.40	20664.00
3	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	321/20.11.21	Sand	70	54.60	3822.00
4	mnrega	nil/30.05.2022		314/05.10.21	sand	254	54.60	13868.40
5	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR	322/21.11.21	sand	210	54.60	11466.00
6	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR	315/06.10.21	Crusher	140	50.40	7056.00
					sand	130	54.60	7098.00
7	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR	317/15.11.21	crusher	800	50.40	40320.00
8	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR	318/17.11.21	sand	400	54.60	21840.00
9	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR	313/02.10.21	boulder	450	50.12	22554.00
10	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	325/10.01.21	sand	210	54.60	11466.00
					crasher	430	50.40	21672.00
11	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	327/15.01.22	sand	250	54.60	13650.00
					crasher	500	50.40	25200.00
12	mnrega	nil/30.05.2022	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	324/14.12.21	sand	300	54.60	16380.00
					crusher	300	50.40	15120.00
13	mnrega	nil/30.05.22	GURMUKH SINGH NANAHAR	320/20.11.21	Crasher	400	50.40	20160.00
					Sand	200	54.60	10920.00
14	mnrega	nil/30.05.22	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	316/9.10.21	sand	300	54.6	16380.00
					crusher	600	50.4	30240.00
15	SDP	19/02.12.2023	JAI KISHAN GOVT.C KANDBARI	004/28.04.23	crusher Agg.	1000	44.00	43995.00
16	SDP	20/02.12.2023	JAI KISHAN GOVT.C KANDBARI	005/29.04.23	crusher Sand.	500	53.89	26945.00
17	MPLAD	21,22/01.12.23	JAI KISHAN GOVT.C KANDBARI	001,002/28.04.23	crusher Agg.	800	43.99	35192.00
					crusher Sand.	400	53.89	21556.00
18	SDRF	23/02.12.23	JAI KISHAN GOVT.C KANDBARI	003/28.04.23	crusher Agg.	400	43.99	17596.00
					crusher Sand.	200	53.89	10778.00
19	SDP	15/02.12.23	GURMUKH SINGH NANAHAR KANDBARI	419/01.04.23	crusher	150	52.50	7875.00
					sand	90	58.80	5292.00
20	SDP	16/02.12.23	GURMUKH SINGH NANAHAR	420/02.10.21	Boulder	200	53.45	10690.00
21	VKVNY	17/01.12.2023	GURMUKH SINGH GOVT. CONT.NANAHAR KANDBARI	421/05.02.23	crusher	130	52.50	6825.00
					sand	70	58.80	4116.00
					कुल योग			562736.40

562736

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

3. All payments taken including GST (Sand &Agg @5%. Boulder @18%)

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT NANAHAR
DEV BLOCK BAIJNATH, KANGRA, H.P.